भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1137
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

1137. श्री राजन बाबूराव विचारेः
श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वराः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के उन जिलों की संख्या क्या है जहां 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) योजना कार्यान्वित की जा रही है;
(ख) इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और इस संबंध में वर्ष 2016 के बाद से विशेष रूप से महाराष्ट्र में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं ;
(ग) वर्ष 2016 से इस योजना के तहत आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के लिए मीडिया विज्ञापन सहित विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त की गयी निधि और व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ङ) बीबीबीपी के प्रचार के प्रबंधन हेतु चुनी गई मीडिया कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें वर्ष-वार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और
(च) उक्त अवधि के दौरान बाल लिंगानुपात सुधारने में योजना से क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के सभी 35 जिले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्कीम के कार्यान्वयन के तहत शामिल हैं । इनमें से 31 जिले बहुक्षेत्रक उपाय, मीडिया एवं हिमायत घटक के तहत शामिल हैं तथा शेष 4 जिले स्कीम के अलर्ट मीडिया एवं हिमायत आउटरीच घटक के तहत शामिल हैं ।

(ख) : स्कीम का समग्र लक्ष्य एवं उद्देश्य देश में घटते बाल लिंग अनुपात में सुधार लाना तथा बेटियों की शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल सृजित करना है तथा इसके लिए सोच में दीर्घावधिक परिवर्तन की आवश्यकता है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रमुख संकेतक वर्ष में 2 प्वाइंट तक जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में सुधार लाना है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली की नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि एसआरबी में सुधार हो रहा है और यह वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 923 से बढ़कर 931 हो गया है । तथापि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुधार हो रहा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थिर हैं । महाराष्ट्र राज्य ने एसआरबी में 924 (2015-16) से 930 (2018-19) अर्थात 6 प्वाइंट का सुधार किया है ।

(ग) और (घ) : 2016 से स्कीम के तहत कुल आबंटित/निर्धारित तथा निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आबंटित निधियां	मीडिया गतिविधियों सहित जारी की गई कुल निधियां
1.	2015-16	75	59.37
2.	2016-17	43	28.66
3.	2017-18	200	169.10
4.	2018-19	280	244.92
5.	2019-20*	280	12.53

*25 जून, 2019 तक

(ड.) : हिमायत एवं मीडिया अभियान के लिए एक 360 डिग्री राष्ट्र व्यापी मीडिया योजना कार्यान्वित की जाती है, जिसमें बीबीबीपी स्कीम के संदेश के प्रसार के लिए टीवी, रेडियो, सिनेमा, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, एसएमएस, डिजिटल ऑनलाइन/सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सामुदायिक भागीदारी सहित लगभग सभी प्रकार के मीडिया प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जाता है । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आउटरीच एवं संचार ब्यूरो तथा गीत एवं नृत्य प्रभाग, आकाशवाणी, प्रसार भारती (दूरदर्शन), डाक विभाग, राष्ट्रीय फिल्म प्रभाग निगम (एनएफडीसी) जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सभी अभियान निष्पादित एवं निर्मुक्त किए जाते हैं ।

वर्ष 2016-17 से मीडिया अभियान के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	मीडिया गतिविधियों के लिए आबंटित निधियां
1.	2016-17	29.79
2.	2017-18	143.36
3.	2018-19	175.65

****